संख्या– /v-2–2014–105(आ0)/2013

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
हरिद्वार–रूड़की/देहरादून/टिहरी।

2– नियंत्रक प्राधिकारी/समस्त जिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
उत्तराखण्ड।

3– सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
दूनघाटी/नैनीताल/गंगोत्री।

आवास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 19 नवम्बर, 2014

विषय :– विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र में One time settlement स्वैच्छिक शमन योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य के विकास क्षेत्रों, विशेष विकास क्षेत्रों एवं विनियमित क्षेत्रों में एकल आवासीय भवन मानचित्रों में विचलन करते हुए भवन निर्माण किये गये हैं। राज्य गठन के पूर्व से ऐसे प्रकरण, जो कि शमन योग्य हैं किन्तु प्राधिकरणों में अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित होने के कारण इन प्रकरणों में शमन की कार्यवाही तत्समय नहीं हो पायी है। चूंकि ऐसे प्रकरणों में शमन की स्वीकृति के समय का सर्किल रेट लिए जाने के कारण जनमानस द्वारा शमन की कार्यवाही में रूचि नहीं ली जा रही है।

अतः ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु One time settlement अन्तर्गत स्वैच्छिक शमन योजना लागू करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार शमन से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करने का कष्ट करें–

1– One time settlement अन्तर्गत स्वैच्छिक शमन की यह व्यवस्था मात्र एकल आवासीय, जिसमें मल्टीपल इकाई व ग्रुप हाउसिंग शामिल नहीं होंगे, हेतु ही निर्धारित की जा रही है।

2– राज्य गठन से पूर्व के प्रकरणों में One time settlement हेतु 09 नवम्बर, 2000 को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर शमन–शुल्क लिया जायेगा।

3– राज्य गठन के बाद के प्रकरणों में One time settlement हेतु शमन–शुल्क, चालान (नोटिस जारी होने की तिथि) की तिथि को प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर लिया जाएगा।

4– जिन अनधिकृत निर्माण का चालान नहीं किया गया है, उन भवनों में भवन स्वामी द्वारा निर्माण की पुष्टि हेतु बिजली, पानी एवं टेलीफोन का बिल आदि अभिलेख प्रस्तुत किए जायेंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित बिलों (जो भी पहले की तिथि का हो) की पुष्टि करते हुए उक्त के आधार पर शमन की कार्यवाही की जायेगी।

5– शमन उपविधि अनुसार शमन योग्य प्रकरणों में पृष्ठ व पार्श्व, सेटबैक अन्तर्गत 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट ऐसे भवनों में देय होगी, जहां उक्त छूट उपरान्त शमनीय भवनों में न्यूनतम 03 फीट का पृष्ठ व पार्श्व सेटबैक उपलब्ध हो।

6– एकमुश्त धनराशि जमा करने पर शमन शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

7– शमन शुल्क अधिकतम 04 समान त्रैमासिक किश्तों में भी जमा किया जा सकता है, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8– उक्त निर्धारित अवधि के उपरान्त देय अवशेष धनराशि पर 12 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के आधार पर देय धनराशि को सम्मिलित करते हुए शुल्क की गणना की जायेगी। विलम्ब से दिये जाने वाले ऐसे शुल्क को जमा करने हेतु अधिकतम 06 माह की अवधि निर्धारित की जाती है।

9– समस्त प्राधिकरणों में शमन के विचाराधीन प्रकरणों पर भी इस स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

10– स्वैच्छिक शमन योजना के उक्त प्राविधान सम्बन्धित सूचना के निर्गत होने के **03 माह** तक ही प्रभावी रहेगी। इस अवधि में सम्बन्धित प्राधिकरण/अभिकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर कैम्प लगाकर शमन के प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

11– Online map स्वीकृति की योजना के दृष्टिगत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में शमन के प्रकरण भी Online व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारित किए जायेगा। जिन विकास क्षेत्रों/विनियमित क्षेत्रों में Online मानचित्र स्वीकृति की व्यवस्था नहीं है, उनमें पूर्व में मानचित्र स्वीकृत/शमन हेतु प्रचलित व्यवस्थानुसार आवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

12– शमन के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु प्राधिकरण के अभियंत्रण स्टाफ द्वारा स्थल निरीक्षण कर शमनीय निर्माण की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, इस हेतु काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्ट में पंजीकृत वास्तुविद एवं सम्बन्धित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न शमन मानचित्र में प्रदर्शित शमनीय निर्माण मौके के अनुरूप दर्शाये जाने सम्बन्धी संयुक्त रूप से शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा।

13– प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के अन्त में विस्तृत सूचना/आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14– प्राधिकरणों द्वारा जनहित में स्वैच्छिक शमन योजना की व्यवस्था एवं कैम्प लगाये जाने की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–1211 /V/आ0–2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/देहरादून।।

2– नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।

3– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

4– सहयुक्त नियोजक, गढवाल/कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।

आज्ञा से,

(डा0 वी0 षणमुगम)
अपर सचिव।

D:\Awas-Section- 2\MDDA\MDDA Letter- 2014.doc